कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल।

पत्रांकः— 1195 / पैट्रोल पम्प / 2021—22 दिनांकः— 07/06/21

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0 / रा0),
सम्भल

विषयः गाटा संख्या 80 / 81 स्थित ग्राम—सरायब्रहामण (एसएच—18) तहसील—गुन्नौर, जिला सम्भल पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद रिटेल आउटलेट (पेट्रौल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक संख्या—719(iii) / एल0बी0सी0 / इं0ऑ0का0लिमि0 / अ0प्र0पत्र / 2019—20 दिनांक 23.12.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के कम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक 980 / 46एम(मुरादाबाद)—मु0क्षे0 / 2021 दिनांक 30.04.2021 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में मानचित्र की एक प्रति सहित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सम्भल।

dc

C.S.

प्रभागीय वनाधिकारी

संजय कुमार / Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय / Moradabad Divisional Office

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :— 980/46एम0(मुरादाबाद)—मु0क्षे0/2021 दिनांक— 30/5/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सम्भल।

विषय :— गाटा सं0—80/81 स्थित ग्राम सरायब्रहामण (एसएच—18) तहसील गुन्नौर जिला सम्भल पर इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 मुरादाबाद रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :— अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक—1730/105काम—मु0वृत/21 दिनांक 05.04.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना—पत्र, भू—अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर एवं प्रमुख अभियन्ता सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक—15375एम0टी0/60एम0टी0/1999 दिनांक 24.12.2020 द्वारा जारी दिनांक 23.12.2020 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश सं0—1882/23—1219—1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019 द्वारा निर्गत गाईड लाईन के स्थान पर पूर्व के शासनादेशों द्वारा जारी गाईड लाईन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 22.86 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0—20 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शें के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल मेरठ बदॉयू मार्ग पर गाटा सं0—80/81 ग्राम सराय ब्राहमण, तहसील गुन्नौर जिला सम्भल के चैनेज 150.550 के किमी0—151 के दॉयीं ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू—स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी

संजय कुमार/Sanjay Kumar
Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन० एच० 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24
मुरादाबाद/244102 (उ० प्र०)
Moradabad - 244102 (U.P.)

10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये।

14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0–2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त सैद्धान्तिक / अनन्तिम अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

16. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियॉ शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियॉ एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियॉ को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।

17. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों / शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सैद्धान्तिक / अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः–1–मानचित्र एक प्रतियों में।
2–एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3–अधी0अभि0, मुरादाबाद का पत्र सं0–1730 / 105काम–मु0वृत / 21 दि0 05.04.2021 के पत्र की छाया प्रति।

(डी0के0मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक–1730 / 105काम–मु0वृत / 21 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

C.S.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संजय कुमार/Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एच0 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H. - 24
पो0 पाकबड़ा, मुरादाबाद/244102 (उ0 प्र0)
P.O. Pakbara Moradabad - 244102 (U.P.)